"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2013— आश्विन 23, शक 1935

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्रमांक 15/चार/वि.स.चु./2013/5068 .— भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का अधिसूचना संख्या क्रमांक-434/छ.ग.-वि.स./2013 (1) तथा 434/छ.ग.-वि.स./2013 (2) दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 एवं शुद्धि पत्र 01 अक्टूबर, 2013 आयोग द्वारा छ.ग. राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(सुनील कुमार कुजूर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 — 12 आश्विन, 1935 (शक)

अधिसूचना

434/ छ.ग.- वि.स. / 2013 (1) . — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति से संबंधित तारीख 6 सितम्बर, 2013 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/ छ.ग.- वि.स. / 2013 (1) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

82-केशकाल (अ.ज.जा.) विधान सभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर हेतु वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर अपर कलेक्टर कोण्डागांव प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी.

आदेश से,

हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi, Dated 4th October, 2013 — 12 Ashvina, 1935 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2013(1). — In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of people Act, 1951(43 of 1951), the Election Commission in consultation with the State Government of Chhattisgarh, hereby directs that following amendment shall be made in its Notification No. 434/CG-LA/2013 (1), dated 6th September, 2013.

In Place of existing entry of Returning Officer for 82-Keshkal (ST) Legislative Assembly, the entry Additional Collector Kondagaon will be substituted.

By Order,

Sd/-
(R.K.Srivastava)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 --- 12 आश्विन, 1935 (शक)

अधिसूचना

434/ छ.ग.- वि.स. / 2013 (1) . ---- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से संबंधित तारीख 6 सितम्बर, 2013 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/ छ.ग.- वि.स. / 2013 (1) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लेखित 29-बेलतरा एवं स्तम्भ (2) में विद्यमान अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी.

सारणी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (1)	रिटर्निंग आफिसर (2)
31-बेलतरा	आयुक्त नगर निगम, बिलासपुर

आदेश से,
हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi, Dated 4th October, 2013 — 12 Ashvina, 1935 (Saka).

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2013(1). — In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of people Act, 1951(43 of 1951), the Election Commission in consultation with the state Government of Chhattisgarh, hereby directs that following amendment shall be made in its Notification No. 434/CG-LA/2013 (1), dated 6th September, 2013.

In column 1 of the Table appended to the said notification the entry 29-Beltara and in column (2) the entry Sub Divisional Officer, Bilaspur, will be substituted by the following.

TABLE

Number and name of Assembly Constituency (1)	Returning Officer (2)
31-Beltara	Commissioner, Nagar Nigam, Bilaspur

By Order,
Sd/-
(R.K.Srivastava)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 — 12 आश्विन, 1935 (शक)

अधिसूचना

434/ छ.ग.- वि.स. / 2013 (2) . — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से संबंधित तारीख 6 सितम्बर, 2013 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/ छ.ग.- वि.स. / 2013 (2) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में दर्शायी गई प्रविष्टियों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी.

सारणी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (1)	सहायक रिटर्निंग आफिसर (2)
8-सामरी (अ.ज.जा.)	1.अनुविभागीय अधिकारी, कुसमी 2. तहसीलदार, कुसमी
25-कोटा	2. तहसीलदार, गौरेला
26-लोरमी	1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), कोटा
27-मुंगेली (अ.जा.)	2. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पथरिया
29-बिल्हा	1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), पथरिया
34-जांजगीर चाम्पा	2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बम्हनीडीह
35-सक्ती	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सक्ती
64-दुर्ग शहर	2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, पाटन
67-अहिवारा (अ.जा.)	2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, धमधा
82-केशकाल (अ.ज.जा.)	1. अतिरिक्त कलेक्टर, केशकाल

आदेश से,

हस्ता./-
(आर.के.श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi, Dated 4th October, 2013 — 12 Ashvina, 1935 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/CG-LA/2013(2). — In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 22 of the Representation of people Act, 1951(43 of 1951), the Election Commission hereby directs that following amendment shall be made in its Notification No. 434/CG-LA/2013 (2), dated 6th September, 2013.

In the Place of existing entries against column No. (1) of the Table appended to the said Notification, the following entries shall be substituted.

TABLE

Number and name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
8-Samri	1. Sub Divisional Officer, Kusmi 2. Tahsildar, Kusmi
25-Kota	2. Tahsildar, Gorela
26-Lormi	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Kota
27-Mungeli (S.C.)	2. Sub Divisional Officer (Revenue), Pathriya
29-Bilha	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Bilaspur
34-Janjgir-Champa	2. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Bamhanidih
35-Sakti	1. Chief Executive Officer, District Panchayat Sakti
64-Durg town	2. C.M.O. Nagar Panchayat, Patan
67-Ahivara (S.C.)	2. Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, Dhamdha
82-Keshkal (S.T.)	1. Additional Collector, Keshkal

By Order,

Sd/-
(R.K.Srivastava)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 — 9 आश्विन, 1935 (शक)

शुद्धिपत्र

भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 6 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या 434/ छ.ग.- वि.स. / 2013 (1) के साथ संलग्न सारणी में स्तम्भ (1) में उल्लेखित 26-तखतपुर, 27-बिल्हा, 28-बिलासपुर, 29-बेलतरा, 30-मस्तुरी (अ.जा.), 31-लोरमी एवं 32-मुंगेली (अ.जा.) एवं इनके आगे स्तम्भ (2) में दर्शाई गई प्रविष्टियां हटा दी जायेंगी एवं इनके स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी :—

सारणी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)
26-लोरमी	अनुविभागीय अधिकारी, लोरमी
27-मुंगेली (अ.जा.)	कलेक्टर, मुंगेली
28-तखतपुर	अपर कलेक्टर, बिलासपुर
29-बिल्हा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर
30-बिलासपुर	कलेक्टर, बिलासपुर
31-बेलतरा	आयुक्त नगर निगम, बिलासपुर
32-मस्तुरी (अ.जा.)	उपायुक्त (राजस्व), बिलासपुर

हस्ता./-
(आनन्द कुमार पाठक)
अवर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi. Dated 1st October, 2013 — 9 Ashvina, 1935 (Saka)

CORRIGENDUM

In the table appended to Election Commission of India's Notification No. 434/CG-LA/2013(1) dated 6th September, 2013 the words and figures in Column No. 1 i.e. 26-Takhatpur, 27-Bilha, 28-Bilaspur, 29-Beltara, 30-Masturi (SC), 31-Lormi and 32-Mungeli (SC) and entries against these in Column No. 2 Shall be treated as omitted and substituted by following entries :—

TABLE

Number and name of Assembly Constituency (1)	Returning Officer (2)
26-Lormi	Sub Division Officer, Lormi
27-Mungeli (SC)	Collector, Mungeli
28-Takhatpur	Addl. Collector, Bilaspur
29-Bilha	Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Bilaspur
30-Bilaspur	Collector , Bilaspur
31-Beltara	Commissioner Nagar Nigam, Bilaspur
32-Masturi (SC)	Dy. Commissioner (Revenue), Bilaspur

Sd/-

(Anand Kumar Pathak)
Under Secretary,
Election Commission of India

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 — 9 आश्विन, 1935 (शक)

शुद्धिपत्र

भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 6 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या 434/ छ.ग.- वि.स. / 2013 (2) के साथ संलग्न सारणी में स्तम्भ (1) में उल्लेखित 26-तखतपुर, 27-बिल्हा, 28-बिलासपुर, 29-बेलतरा, 30-मस्तुरी (अ.जा.), 31-लोरमी एवं 32-मुंगेली (अ.जा.) एवं इनके आगे स्तम्भ (2) में दर्शाई गई प्रविष्टियां हटा दी जायेंगी एवं इनके स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी :—

सारणी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (1)	सहायक रिटर्निंग आफिसर (2)
26-लोरमी	1. तहसीलदार, लोरमी 2. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेली
27-मुंगेली (अ.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी, मुंगेली 2. तहसीलदार, मुंगेली
28-तखतपुर	1. सत्कार अधिकारी, जिला कार्यालय, बिलासपुर 2. तहसीलदार, तखतपुर
29-बिल्हा	1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), बिल्हा 2. तहसीलदार, बिल्हा
30-बिलासपुर	1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), बिलासपुर 2. तहसीलदार, बिलासपुर
31-बेलतरा	1. उपायुक्त (भू-अभिलेख), बिलासपुर 2. अतिरिक्त तहसीलदार, बिलासपुर
32-मस्तुरी (अ.जा.)	1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), मस्तुरी, 2. तहसीलदार, मस्तुरी

हस्ता./-
(आनन्द कुमार पाठक)
अवर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi, Dated 1st October, 2013 — 9 Ashvina, 1935 (Saka)

CORRIGENDUM

In the table appended to Election Commission of India's Notification No. 434/CG-LA/2013(2) dated 6th September, 2013 the words and figures in Column No. 1 i.e. 26-Takhatpur, 27-Bilha, 28-Bilaspur, 29-Beltara, 30-Masturi (SC), 31-Lormi and 32-Mungeli (SC) and entries against these in Column No. 2 Shall be treated as omitted and substituted by following entries :—

TABLE

Number and name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
26-Lormi	1. Tahsildar, Lormi 2. Project Officer, DRDA, Mungeli
27-Mungeli (S.C.)	1. Sub Divisional Officer, Mungeli 2. Tahsildar, Mungeli
28-Takhatpur	1. Protocal Officer, District Office, Bilaspur 2. Tahsildar, Takhatpur
29-Bilha	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Bilha 2. Tahsildar, Bilha
30-Bilaspur	1. Sub Divisinal Officer (Revenue), Bilaspur 2. Tahsildar, Bilaspur
31-Beltara	1. Dy. Commissioner (Land Record), Bilaspur 2. Addl. Tahsildar, Bilaspur
32-Masturi (S.C.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Masturi 2. Tahsildar, Masturi

Sd/-

(Anand Kumar Pathak)
Under Secretary,
Election Commission of India

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित.- 2013.